अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त।

24.07.2020 उक्त भूमि से संबंधित संदिग्ध/अवैध जमाबंदीधारक/उनके वंशज द्वारा समर्पित राजस्व कागजातों की जॉच संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक के द्वारा करायी गयी। जॉचोपरान्त उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया हैं, कि मौजा......खरमो........, थाना नं0......36......, खाता नं0......22......, प्लॉट नं0......110......, रकवा......75 डी...... एकड़ भूमि गतसर्वे के अनुसार गैरा आबाद खाते की भूमि है। जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं0–......I...... के पृष्ठ सं0......74...... पर ......कुचन माझी पिता मड़िया माझी...... का नाम कायम है तथा हालसर्वे खतियान के अनुसार खाता नं0......25......, प्लॉट नं0......249, 248, 2656, 61......, रकवा......1.09...... एकड़ भूमि श्री/श्रीमति......कुचन माझी......, पिता/पति......मड़िया माझी...... के नाम पर खतियान बन गया है।

अभिलेख आदेशार्थ दिनांक......04.08.2020...... को रखे।

04.08.2020 अभिलेख उपस्थापित। पूर्व में जमाबंदी को बिना किसी कागजात के एंव आधार के कायम रहने की स्थिति में संदिग्ध जमाबंदी रद्द अभिलेख का संधारण किया गया था। जिस पर अंतिम निर्णय हेतू सरकार के सचिव राजस्व निबंधन एंव भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रॉची के पत्रांक–......1704/27...... दिनांक–......15.7.2020...... के द्वारा निदेश प्राप्त है। जिसका अनुपालन हेतू अपर समाहर्त्ता, धनबाद का पत्रांक......3999/RJ...... दिनांक......8.8.2020...... के आलोक में तथा राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक के जॉचोपरान्त प्रतिवेदन अनुसार उक्त जमाबंदी रैयत के पक्ष में या उनके वंशज के पक्ष में हालसर्वे खतियान तैयार किये जाने संबंधी उजागर वास्तविकता के आधार पर मूल गैर आबाद खाता से संबंधित उपरोक्त भूमि को हालसर्वे खतियानधारी के पक्ष विनियमित करते हुए पर्चा निर्गत किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख दिनांक–......13.08.2020...... को उपस्थापित करें।

लेखापित संशोधित

04/08/20

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर